डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 अगस्त, 2019, डिस्पेच दिनांक 16 अगस्त, 2019

| वर्ष 63 | अंक 06 | भोपाल | 16 अगस्त, 2019 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिये सभी कर्जा माफ होंगे : मुख्यमंत्री

अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री का आदिवासी समुदाय को तोहफा

भोपाल। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ होंगे। इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ आदिवासी साहूकारों के कर्ज से मुक्त होंगे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बताया कि सरकार ने इसके लिए सभी औपचारिक व्यवस्थाएँ कर ली हैं। सभी 89 अनुसूचित क्षेत्रों में यह कर्ज 15 अगस्त तक माफ होना शुरू हो जाएंगे। श्री कमल नाथ ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदिवासी वर्ग की मांग पर अनुसूचित जनजाति विभाग का नाम बदलकर आदिवासी विकास विभाग किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कई ऐतिहासिक कामों का खुलासा किया। उन्होंने साहूकारों से लिए कर्ज माफ करने के संबंध में कहा कि किसी आदिवासी ने कर्ज लेने के लिए अपनी जेवर, जमीन गिरवी रखी है तो वह भी उन्हें वापिस होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में कोई साहूकार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी करेगा तो उसे लायसेंस लेकर नियमानुसार धंधा करना होगा। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर बगैर लायसेंस के किसी ने अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी का धंधा किया तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसे गैरकानूनी माना जायेगा। यह कर्ज आदिवासी नहीं चुकाएंगे।

डेबिट कार्ड देंगे और हर हाट में खोलेंगे एटीएम

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश के 89 अनुसूचित क्षेत्र विकासखंडों के आदिवासियों को साहूकारों से मुक्त कराने के लिए सरकार उन्हें रुपे, डेबिट कार्ड देगी। इसके जरिए वे जरूरत पड़ने पर दस हजार रुपये तक ए.टी.एम से निकाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर हाट बाजार में ए.टी.एम. खोले जायेंगे।

खारिज वनाधिकार प्रकरणों का परीक्षण होगा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जिन भी आदिवासियों के वनाधिकार के प्रकरण खारिज हुए हैं उनका पुनरीक्षण किया जायेगा और पात्र होने पर उन्हें वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। श्री नाथ ने कहा कि जहाँ भी वनाधिकार प्रकरण संबंधी आवेदन लंबित है उनका अभियान चलाकर निराकरण किया जायेगा।

मुख्यमंत्री मदद योजना

आदिवासी समाज में जन्म और मृत्यु के समय होने वाले रीति-रिवाजों का सम्मान करते हुए श्री कमल नाथ ने 'मुख्यमंत्री मदद योजना' का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवार में अगर बच्चा या बच्ची का जन्म होता है तो उस परिवार को 50 किलो चावल अथवा गेहूँ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह अगर किसी आदिवासी परिवार में मृत्यु होती है तो उस परिवार को एक क्विंटल चावल अथवा गेहूँ दिया जाएगा। इस मौके पर खाना बनाने के लिए उन्हें बड़े बर्तन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।

खेलकूद शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएँ

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की शिक्षा और खेल के क्षेत्र में अवसर देने के लिए भी कई घोषणाएँ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 40 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ अन्य सुविधाएँ भी होगी। इसी तरह 40 हाई स्कूलों का उन्नयन कर उन्हें हायर सेकेण्डरी स्कूल बनाया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में सात नए खेल परिसर बनेंगें जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ाने वाले 53 हजार अध्यापकों को शासकीय शिक्षकों के समान सुविधाएँ मिलेंगी।

शेष पृष्ठ 6 पर

किसान उत्पादक संगठन वैकल्पिक कारोबार पर भी ध्यान दें : मंत्री डॉ. सिंह

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने समन्वय भवन में प्रदेश के किसान उत्पादक संगठनों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहा कि कृषि और सहकारिता का प्राचीन और गहन संबंध है। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को खाद्य प्र-संस्करण उद्योग और दुग्ध उत्पादन जैसे अतिरिक्त आमदनी के वैकल्पिक कारोबार पर भी ध्यान देना चाहिये।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने कहा कि मण्डी अधिनियमों और व्यवस्थाओं में किसान हित में व्यापक परिवर्तन के लिये विस्तृत ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। आदर्श

मण्डियों की स्थापना के लिये भी शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान की खुशहाली ही सरकार की प्राथमिकता है।

किसान उत्पादन कंपनियों की ओर से श्री योगेश द्विवेदी ने उत्पादक कंपनियों में मानव संसाधन और कार्यशील पूंजी का प्रबंध, किसान उत्पादक कंपनी के कार्यक्षेत्र मे संग्रहण एवं प्र-संस्करण सुविधाओं का निर्माण, किसान उत्पादक कंपनियों के लिये उर्वरक आवंटन में 5 प्रतिशत कोटा संबंधी समस्याओं का जिक्र किया। मंत्रीद्वय ने किसान उत्पादक संगठनों को समस्याओं के निराकरण के लिये आश्वस्त किया।

कई क्षेत्रों में मध्यप्रदेश बन सकता है देश का हब : मुख्यमंत्री

श्री मुकेश अम्बानी ने प्रदेश में ऊर्जा स्टोरेज, उद्यानिकी, जियो नेटवर्क सेवा में दिखाई रुचि

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश की औद्योगिक निवेश की संभावनाओं का ठीक से दोहन करने की आवश्यकता है। प्रदेश उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा प्रोसेसिंग, ऊर्जा स्टोरेज जैसे नए क्षेत्रों में देश का केंद्र–बिंदु बन सकता है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ और श्री मुकेश अम्बानी के बीच मुम्बई में मध्यप्रदेश में नए क्षेत्रों में निवेश के सम्बन्ध में चर्चा हुई।

श्री कमल नाथ ने श्री मुकेश अम्बानी के साथ हुई बैठक के दौरान उन्हें प्रदेश में नई टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इससे रोज़गार के मौके तो बढ़ेंगे ही, साथ ही व्यापार भी बढ़ेगा। इससे निवेशक और राज्य दोनों को फायदा होगा।

श्री मुकेश अम्बानी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रिलायंस और मध्यप्रदेश सरकार की भागीदारी से विकास के नए रास्ते खुल सकते हैं। श्री अम्बानी ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में मुलाकात की चर्चा करते हुए कहा कि श्री कमल नाथ के साथ हुए विवेकपूर्ण विचार–विमर्श से व्यापारिक निर्णय सही निकले।

श्री मुकेश अम्बानी ने कहा कि जियो नेटवर्क का उपयोग महिला सुरक्षा, अपराध अनुसंधान और नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेजॉन और वालमार्ट की तरह रिलायंस ग्लोबल लॉजिस्टिक हब मध्यप्रदेश में स्थापित करने की योजना है। बेंगलुरु और मुम्बई में इसे पहले से ही स्थापित किया गया है।

श्री अम्बानी ने कहा कि एनर्जी स्टोरेज में मध्यप्रदेश में बैटरी निर्माण संबंधी निवेश करने को वे तैयार हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश शीर्ष प्राथमिकता वाला राज्य है। लिथियम के बाद वेलेडियम के माध्यम से ऊर्जा स्टोरेज का भविष्य अच्छा है। श्री अम्बानी ने कहा कि मध्यप्रदेश उद्यानिकी का केंद्र बन सकता है। खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र बढ़ने से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

श्री अम्बानी ने यह जानकारी भी दी कि मध्यप्रदेश में डेटा उपयोग साऊथ कोरिया और यू.के. से भी ज्यादा हो रहा है।

जिला शहडोल में प्रभावी सहकारी प्रशिक्षण आयोजित

शहडोल। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के व्याख्याता श्री एस.के. चतुर्वेदी द्वारा शहडोल संभाग मुख्यालय में संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक श्री एस.एन. कोरी के मुख्य आतिथ्य में 26 जुलाई 2019 को कार्यपालिक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त सहकारी निरीक्षक, अंकक्षेक एवं स्टाफ तथा संस्थागत अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया।

प्रारम्भ में श्री एस.के. चतुर्वेदी ने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की तथा संस्थाओं में प्रशासकों की भूमिका एवं दायित्व बोध तथा सहकारी समितियों के प्रबन्ध व प्रशासन विषय पर चर्चा की गई। सहायक आयुक्त अभय सिंह ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। उप आयुक्त श्रीमती शकुन्तला ठाकुर ने सम्बोधन में कहा कि समस्त कार्यपालिक अधिकारी कर्मचारियों के साथ जनहित में वैधानिक कार्य करना सर्वोपरि है। पूरी शक्ति के साथ कार्य करना है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबन्धक श्री डी.के. आगर ने सहकारिता की सेवाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जय किसान ऋण माफी योजना में विभाग के सहयोग से अच्छा कार्य किया गया है।

मुख्य अतिथि संयुक्त पंजीयक श्री कोरी ने संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता कि सेवा अति महत्वपूर्ण एवं जनकल्याण कारी है। सेवाओं की गुणवत्ता के लियें सकारात्मक सोच, उत्साह, निष्ठा अनिवार्य है। जिससे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं गतिविधियों का शत प्रतिशत परिणाम मिल सकें। जिला सहकारी संघ के प्रशासक श्री डी. आर. सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक ने आभार व्यक्त किया। प्रबन्धक श्री संपत लाल वर्मा की सेवा सराहानीय रही।

संगोष्ठी आयोजित

विपणन सहकारी समिति मर्या. शहडोल मे एग्री बिजनेस पर संगोष्ठी आयोजित की गई। श्री एस.के. चतुर्वेदी व्याख्याता द्वारा एग्री बिजनेस की अवधारणा तथा व्यापार व्यवसाय तथा वार्षिक साधारण सभा आयोजन की आवश्यकता तथा महत्वता पर चर्चा की। मुख्य अतिथि सहायक पंजीयक अभय सिंह द्वारा संस्थाओं में उद्देश्य के अनुसार व्यापारिक गतिविधियों के संचालन को अनिवार्य बताया। जिला विपणन अधिकारी श्रीमती शिखा सिंह वर्मा द्वारा विपणन संघ एवं विपणन समितियों की कार्यप्रणली व्यावसायिक दक्षता कृषक प्रशासक सेवाओं का उल्लेखा करते हुए एग्री बिजनेस पर प्रकाश डाला। विपणन समिति के प्रशासक संजय शराफ ने समिति की गतिविधियां एवं व्यापार व्यवसाय की उपलब्धियों एवं समस्यों पर चर्चा की। तथा सेवा अधिनियम बनाये जानें की आवश्यकता बताई। संगोष्ठी में समिति के सदस्य कर्मचारी तथा विपणन संघ के कर्मचारी तथा कृषक उपस्थित रहें।

संचालक मण्डल प्रशिक्षण

दिनाकं 27 एवं 28 जुलाई को लैम्स सिंहपुर में संचालक मण्डल को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें संचालक मण्डल की शक्ति, उपनियम, अधिनियम बताया गया। मुख्य अतिथि से. नि. सहकारी निरीक्षक संतोष त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए कहा कि समिति कृषकों को उधार एवं नकद सेवा देती है। जिसमें समयबद्धता अनिवार्य है। समिति अध्यक्ष सुनील तिवारी ने प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण व आवश्यक बताया।

प्रशिक्षण के अगले क्रम में दिनांक 29 जुलाई से प्राथमिक लघु वनोपज समिति का प्रशिक्षण आयोजित कर उपनियम एवं नियम, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम तथा लेखा पद्धति की जानकारी प्रदान की गई। उक्त कार्यक्रम का आयोजन श्री एस.के. चतुर्वेदी व्याख्याता सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा किया गया।

पेंशन योजनाओं की जाँच के लिये मंत्रि–परिषद समिति पुनर्गठित

भोपाल। राज्य शासन ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में हुई आनियमितताओं के संबंध में मंत्रि–परिषद समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री तरूण भनोत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल और श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया को शामिल किया गया है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन समिति के संयोजक होंगे। समिति दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई आनियमितता की जाँच के लिये पूर्व में गठित आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करेगी।

नई पीढ़ी भारतीय मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखें : श्री कमल नाथ

मुख्यमंत्री द्वारा मेधावी छात्र–छात्राएँ सम्मानित

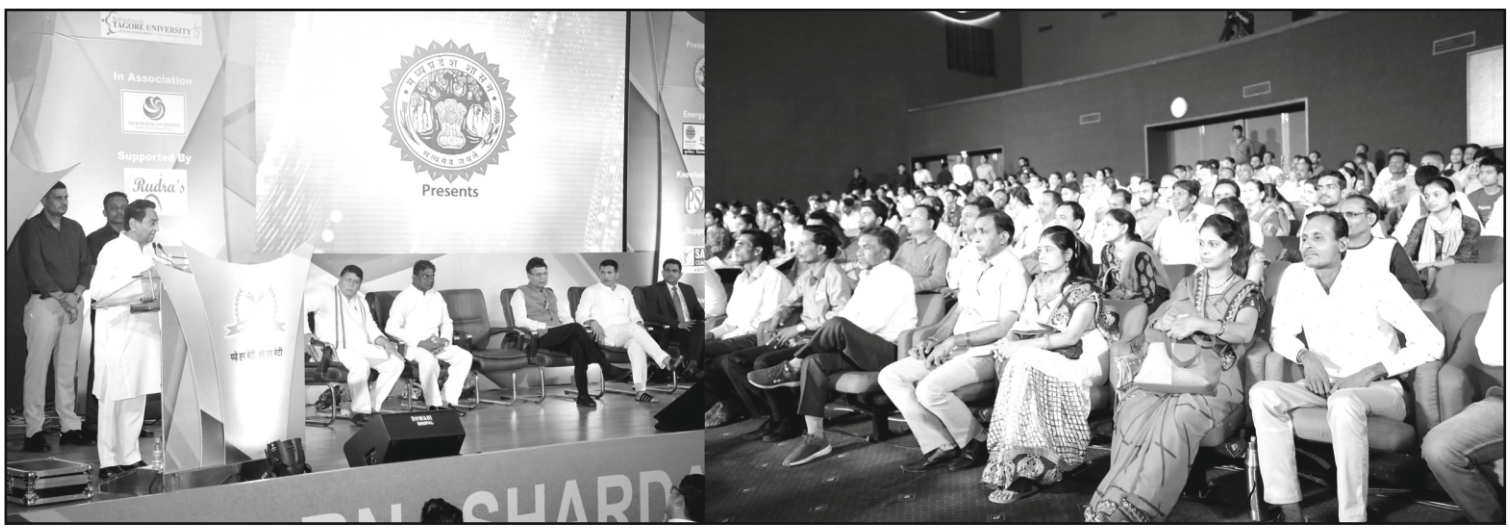

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी आज के परिवेश में अपने मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखे। यही वह ताकत है, जिसने हमारे देश को पूरे विश्व में महान बनाया है। श्री नाथ विधानसभा सभागार में एक निजी चैनल के समारोह में मेधावी छात्र–छात्राओं को सम्मानित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि हमारे देश की सेना और धन हमारी असली शक्ति नहीं है। अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी पहचान और ताकत है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ इतनी विभिन्नता, जातियाँ, धर्म, भाषाएँ, रस्म और त्यौहार हों, जितने हमारे देश में हैं। इसके बाद भी हम एक तिरंगे झंडे के नीचे पूरी एकता के साथ खड़े हैं। श्री नाथ ने कहा कि यही हमारी महानता है, जिसे पूरा विश्व स्वीकार्यता है। मुख्यमंत्री ने नई पीढ़ी से कहा कि हमें अपनी इस पहचान को खोने नहीं देना है।

मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि भावी पीढ़ी बेहतर सोच, संस्कार, भारतीय मूल्यों और सभ्यता के साथ आगे बढ़े, और शिक्षित हो। यह चुनौती हमारी शिक्षण संस्थाओं और शिक्षकों के सामने हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी का यही प्रयास होना चाहिये कि हमारे बच्चे, जो देश का भविष्य हैं, वे अपने मूल्यों और संस्कृति से जुड़ें। उन्होंने बच्चों से कहा कि स्कूल–कॉलेज से वे शिक्षित तो हो जाएंगे लेकिन ज्ञान उन्हें अपने परिवार, समाज और देश से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षित होने की तो एक सीमा है लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आज भी रोज कोई न कोई नया ज्ञान प्राप्त करता हूँ। यही ज्ञान हमारी शक्ति है। यही हमें अनुभव देता है और सदैव मुश्किल परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज अनेक साधन है। इसका उपयोग अपने ज्ञान की वृद्धि में करें।

मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र–छात्राओं को सम्मानित करने की परंपरा शुरू करने पर आयोजकों को बधाई दी। उन्होने कहा कि इससे सफलता प्राप्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरे बच्चों को प्रेरणा प्राप्त होती है।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की मंशा के अनुसार नई पीढ़ी को आज की नई शिक्षा तकनीक से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए अगले एक साल में प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 350 ई–लायब्रेरी और ई–लेब खोली जाएंगी। समारोह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने समारोह में 57 छात्राओं और 10 छात्रों को परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया।

उन्होंने एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम महिला सुश्री भावना डेहरिया का भी सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'काफी टेबल बुक मेद्या' का विमोचन किया।

जिला एवं तहसील न्यायालयों में 14 सितम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

जबलपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों तक शनिवार 14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इसी क्रम में जबलपुर के जिला एवं तहसील न्यायालय सिहोरा तथा पाटन में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

इस नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जल कर, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण (न्यायालयों में लंबित) तथा राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित एवं ऐसे प्रकरण जिनमें विवाद है परंतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए है, उनका निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी प्रकरणों, विद्युत के प्रकरणों तथा नगर निगम के जल कर के प्रकरणों में समय–समय पर शासन के निर्देशानुसार विशेष छूट का लाभ दिया जावेगा।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकरणों में राजीनामा किए जाने पर आवेदकों को संपूर्ण कोर्ट फीस वापिस प्राप्त होगी। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों को त्वरित, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत में पारित अवार्ड की अपील एवं रिवीजन भी नहीं होती है जिससे प्रकरणों के निराकरण में लगने वाले समय की बचत होती है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने पक्षकारों से आग्रह किया है कि नेशनल लोक अदालत मे अधिक से अधिक संख्या मे उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत का लाभ उठावें।

राशन वितरण व्यवस्था में महिलाएँ बनेंगी भागीदारी : मंत्री श्री तोमर

1461 महिला स्व–सहायता समूहों को राशन दुकान आवंटित

भोपाल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 1461 महिला स्व–सहायता समूहों को राशन दुकानें आवंटित की गई हैं।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश के 5 करोड़ 46 लाख हितग्राहियों को 24 हजार 713 दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में राशन दुकान अनिवार्य रूप से खोली जाए। उन्होंने बताया कि गत वर्ष तक प्रदेश में 5199 ग्राम पंचायतों में राशन दुकानें नहीं थी। पिछले गत 7 माह में 2499 ग्राम पंचायतों में नवीन दुकानें खोली गई हैं। इनमें से 1461 दुकानों के संचालन का दायित्व महिला स्व–सहायता समूहों को सौंपा गया है। शेष ग्राम पंचायतों में अक्टूबर माह तक दुकानें खोली जाएंगी।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रतिमाह 2 लाख 23 हजार मेट्रिक टन गेहूँ, 74 हजार मेट्रिक टन चावल,16 हजार 400 किलोग्राम शक्कर, 11हजार 529 क्विंटल आयोडाईज नमक, 40 हजार 793 मेट्रिक टन दलहन और 19 हजार 538 किलो लीटर केरोसीन का वितरण किया जाता है।

श्रमिकों के बच्चों से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

भोपाल। प्रदेश के बीड़ी, चूना–पत्थर, डोलोमाइट, लौह मैग्नीज और क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र–पुत्रियों से प्री–मेट्रिक और पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। ''शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता'' योजना में पात्र छात्र–छात्राएँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल <https://scholarships.gov.in/ helpdesk-nsp@gov.in> पर आवेदन कर सकते हैं। प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिये 31 अक्टूबर, 2019 है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की पात्रता, जानकारी, शर्तें आदि प्रदर्शित हैं।

योजना में कक्षा–एक से चार तक अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं को 250, पाँचवीं से आठवीं तक छात्रों को 500, छात्राओं को 940, कक्षा–नवीं में छात्रों को 700 और छात्राओं को 1140, कक्षा दसवीं के छात्रों को 1400 और छात्राओं को 1840, 11वीं और 12वीं के छात्रों को 2 हजार, छात्राओं को 2440, स्नातक, तीन वर्षीय डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर छात्र–छात्राओं को 3–3 हजार, अव्यावसायिक स्नातक–स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, बीसीए, बीबीए, डीसीए और पीजीडीसीए छात्र–छात्राओं को 3–3 हजार, बी.ई., बी.टेक., एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएससी कृषि, एमसीए, एमबीए के छात्र–छात्राओं को 15–15 हजार और आईटीआई छात्र–छात्राओं को 10–10 हजार रुपये छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

राज्य में श्रमिकों के बच्चे ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या के निदान के लिये जबलपुर कार्यालय के दूरभाष क्रमांक–0761–2626021, 2678595, ई–मेल–wc.jabalpur@rediffmail.com] sbd2020@rediffmail-com] सागर स्थित कल्याण प्रशासक कार्यालय के दूरभाष क्रमांक–7582–260675 या इंदौर में दूरभाष क्रमांक–0731–2703530, ई–मेल–waind@mp.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

भविष्य के शहरों के बेहतर विकास के लिए बने उत्कृष्ट संस्थान

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने शहरी विकास संस्थान की रूपरेखा की समीक्षा की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने भविष्य में बढ़ती आबादी के अनुसार शहरों की व्यवस्थित बसाहट के लिए प्रस्तावित शहरी विकास संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में शहरी विकास संस्थान की रूपरेखा बनाने के लिए गठित समिति द्वारा तैयार प्रस्तुतिकरण देखा। बैठक में नगरीय विकास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि शहरों का विकास भविष्य की जरूरत और आबादी के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से हो। इसके लिए इस क्षेत्र में दक्षता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए शहरी विकास संस्थान की कल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि संस्थान का गठन इस प्रकार हो कि वह शहरी विकास का बेहतर नियोजन करने के साथ ही पूरे देश में एक उदाहरण बने।

शहरी विकास संस्थान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के रेरा अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने कहा कि यह संस्थान एक स्वतंत्र, सशक्त और स्वशासी संस्थान होगा। इसमें सरकार, समुदाय और शहरी विकास के नियोजन के क्षेत्र में विशेषज्ञ को साथी बनाकर इसे एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस. आर. मोहंती, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक श्री आर.परशुराम , स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग के डायरेक्टर श्री श्रीधरन एवं सुश्री सुनाली रोहिला उपस्थित थीं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

दतिया। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु नामांकन ऑनलाइन किए गए हैं। इनमें बाल शक्ति पुरस्कार के तहत नवीन अविष्कार, असाधारण शैक्षिक योग्यता कला, खेलकूद, सांस्कृतिक क्षेत्र, समाज सेवा, बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे जिनकी आयु 31 अगस्त को 05 वर्ष से 18 वर्ष तक की हो को 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

बाल कल्याण पुरस्कार–ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा। जिनने बाल कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। दोनों ही पुरस्कारों में एक–एक लाख रूपए की राशि एवं एक मैडल प्रदान किया जाएगा। बाल शक्ति पुरस्कार विजेताओं को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया जाएगा। विस्तृत जानकारी www.nca.wcd. nic.in पर उपलब्ध है।

अब लोक सेवा केन्द्रों में आवेदन पर

तुरंत मिलेगी कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि

राज्य शासन ने नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर खसरा, अधिकार अभिलेख, निस्तार पत्रक एवं नक्शे जैसे कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदाय करने के नियमों में संशोधन किया है। नियमों में किये गये संशोधन के मुताबिक कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केन्द्रों पर नागरिकों द्वारा दिये गये आवेदन को अब ऑनलाइन किया जायेगा। लोक सेवा केन्द्र के अलावा आवेदक आईटी केन्द्र पर भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों द्वारा राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने भूलेख पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। लोक सेवा केन्द्र, आईटी केन्द्र तथा भूलेख पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करने पर उसे तुरंत राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होगी।

लोक सेवा केन्द्र में आवेदन की प्रक्रिया

लोक सेवा केन्द्र में कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन जिला अथवा तहसील में स्थित लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कर सकेगा। आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा। आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति आवेदक को प्रदाय की जायेगी। आवेदन भरते समय आवेदक को अपना मोबाइल नंबर दिया जाना अनिवार्य है, इसके अलावा आवेदक द्वारा ई–मेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जाना चाहिए। आवेदन करने के लिए प्रतिलिपि शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।

लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन ऑनलाइन दर्ज होते ही संबंधित पदाभिहित अधिकारी के अकाउंट में ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगा। पदाभिहित अधिकारी द्वारा पहले आयें पहले पायें के आधार पर आवेदन का ऑनलाइन निराकरण किया जायेगा।

लोक सेवा केन्द्रों को आवेदन करने पर जिन जिलों में एनआईसी साफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिलिपि प्रदाय की जा रही है वहाँ रनर द्वारा संबंधित कार्यालय से रिकार्ड की प्रति प्राप्त की जाकर अभिप्रमाणित प्रति आवेदक को प्रदाय की जायेगी। जबकि ऐसे जिलों जहाँ वेब जीआईएस लागू है वहां भूलेख पोर्टल के माध्यम से रिकार्ड की डिजिटली साइन्ड प्रति डाउनलोड की जाकर तत्काल आवेदक को प्रदाय की जायेगी। यदि किसी कारण से सेवा अमान्य अथवा निरस्त की जाती है तो सेवा निरस्त एवं अमान्य करने का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख करते हुए इसकी सूचना लोक सेवा केन्द्र प्रभारी द्वारा आवेदक को लिखित में दी जायेगा।

आई.टी. केन्द्र में आवेदन एवं सेवा देने की प्रक्रिया

आवेदक जिला अथवा तहसील में संचालित आई.टी. केन्द्र में कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु भी आवेदन कर सकेगा। आवेदन का पंजीयन केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन भूलेख पोर्टल पर किया जायेगा। आई.टी. केन्द्र प्रभारी चाहे गये अभिलेखों के पृष्ठों की जानकारी आवेदक को देकर प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त करेगा तथा प्रापत की गई राशि की रसीद आवेदक को प्रदाय करेगा। भूलेख पोर्टल से रिकार्ड की डिजिटली साइन्ड प्रति डाउनलोड कर अभिलेखों की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदाय करेगा। यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरसत करेगा तथा आवेदक को सूचित करेगा।

ऑनलाइन आवेदन एवं निराकरण करने की प्रक्रिया

कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा भूलेख पोर्टल (https://mpbhulekh.gov.in) पर भी यूजर आईडी बनाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। भूलेख पोर्टल पर आवेदन दर्ज होने पर प्रतिलिपि शुल्क जमा करने हेतु लिंक प्रदर्शित होगी। आवेदक को ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से प्रतिलिपि शुल्क जमा करना होगा। शुल्क जमा करने के बाद आवेदक की यूजर आईडी पर डिजिटली साइन प्रतिलिपि पोर्टल पर आ जायेगी जिसका प्रिंटआउट आवेदक द्वारा लिया जा सकेगा । भूलेख पोर्टल के माध्यम से जारी प्रतिलिपि भी डिजिटली साइन की जाती है । इसमें भी पृथक से स्याही के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

राजस्व विभाग की अधि सूचना के अनुसार एक साला अथवा पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट, वजिब–उल–अर्ज, निस्तार पत्रक के लिए एवं ए–4 आकार में नक्शे की प्रति के लिए प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपये एवं प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदक को इस निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त प्राधिकृत सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क देय नहीं होगा। एक आवेदन पर एक खसरा नंबर या खाते के समस्त खसरा नंबरों के अभिलेखों की एक या एक से अधिक प्रतियों के लिये आवेदन किया जा सकेगा, परन्तु पृथक खातों के लिए पृथक–पृथक आवेदन दिये जाने होंगे। प्रतिलिपि चालू वर्ष के साथ–साथ पूर्व वर्षों की भी ली जा सकेगी।

आत्मा परियोजना से सागर जिले का अरविंद कुर्मी बना दूध डेयरी मालिक

भोपाल। आत्मा परियोजना ने सागर जिले में राहतगढ़ विकासखण्ड के ग्राम बटयावदा निवासी युवा बेरोजगार अरविंद कुर्मी को क्षेत्र की लोकप्रिय दूध डेयरी का मालिक बना दिया है। अरविंद के परिवार में मात्र 1.4 हेक्टेयर कृषि भूमि और परम्परागत खेती की सोच के कारण हमेशा आर्थिक तंगी का माहौल बना रहता था। कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर के पशुपालन वैज्ञानिकों ने अरविंद को दूध डेयरी शुरू करने का आइडिया दिया, प्रशिक्षण दिलवाया और गाय–भैंस खरीदने में आत्मा परियोजना में भरपूर मदद भी की। ग्रामीण युवा अरविंद कुर्मी अब बेरोजगार नहीं है। वह पास के ग्राम रमपुरा में दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य बन गया है। समिति के माध्यम से उसकी डेयरी का दूध बाजार में आसानी से बिकता है। प्रतिदिन 1000 से 1200 रुपये आमदनी अरविंद के लिये आम बात है।

अरविंद की डेयरी में मुर्रा और देशी नस्ल की 6 भैंस तथा जर्सी एवं देशी नस्ल की 6 गाय हैं। साथ ही, 3 नवजात पशु भी हैं। इन सभी पशुओं को अरविंद रोज हरा सूखा चारा, पशु आहार और मिनरल मिक्सचर खिलाता है। इसकी दूध डेयरी में रोजाना 70 से 74 लीटर तक दूध उत्पादन होता है। पशुओं के गोबर से खेत के लिये जैविक खाद मिलती है। अब अरविंद अपने क्षेत्र में सफल पशुपालक के रूप में जाना जाता है।

युवाओं के लिये रोजगारप्रद होना चाहिये कौशल विकास प्रशिक्षण

उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण देने की रणनीति बनायें : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि कौशल विकास प्रशिक्षण तभी सफल है, जब प्रशिक्षित युवा को रोजगार मिले या वह स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। इस सोच को लेकर ही विभाग अपनी प्रशिक्षण नीति बनाए।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि कौशल विकास एवं रोजगार प्रशिक्षण देने के पहले मध्यप्रदेश में स्थापित उद्योगों और बाहर के उद्योगों से चर्चा कर उनकी आज की और भविष्य की आवश्यकताओं का अध्ययन करें। उसके अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रशिक्षण के बाद बच्चों का भविष्य सँवारना और

उन्हें सुनिश्चित रोजगार मिलना होना चाहिये ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशिक्षण का मूल आधार रोजगार मिलना है। हमें इसके लिए प्रदेश के हर उस बच्चे का ध्यान रखना है जो शिक्षित है अथवा अशिक्षित है। उसके अनुसार उसे ऐसे ट्रेड में प्रशिक्षित करें, जिसमें रोजगार के अनुसार वेतन मिले। रोजगार भी ऐसी जगह मिले, जहाँ वह मिलने वाले वेतन से सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण की रणनीति ऐसी होना चाहिए, जिससे प्रशिक्षित या शिक्षित युवा, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र का युवा बेरोजगार न रहे। उसे उसकी पात्रता के अनुसार काम मिल जाए।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अधिकारियों से कहा कि वे रोजगार और स्व–रोजगार के ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएं, जहाँ भविष्य में रोजगार मिलना सुनिश्चित हो। साथ ही उन सभी ट्रेडों का प्रशिक्षण देना बंद करें, जो आउटडेटेड हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग, सुरक्षा गार्ड, दवा एवं मनोरंजन क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ आने वाले समय में रोजगार की संभावना बढ़ेगी, इस पर विशेष ध्यान दें।

बैठक में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार श्री प्रमोद अग्रवाल एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में 24 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 137 करोड़ स्वीकृत

भोपाल। प्रदेश में इस वर्ष 6 जिलों की 24 लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 137 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं के पूरा होने पर 8 हजार 979 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित होगी। विभागीय अधिकारियों को स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं।

राजगढ़ जिले में 3 लघु सिंचाई योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। खोखरिया तालाब के लिये 4 करोड़ 90 लाख, करनपुरा बैराज के लिये एक करोड़ 96 लाख और भागोरी तालाब यूनिट–1 के लिये 5 करोड़ 96 लाख स्वीकृत किये गये हैं। सीहोर जिले के संगम दुधी बैराज के लिये 2 करोड़ 70 लाख की मंजूरी दी गई है। विदिशा जिले के केशरी बैराज के लिये 11 करोड़ 72 लाख स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के पूरा होने पर 980 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

शाजापुर जिले में 16 लघु सिंचाई योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। घुनसी बैराज के लिये 12 करोड़ 89 लाख स्वीकृत किये गये हैं। इस योजना के पूरा होने पर एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। तुगांनी वियर लघु सिंचाई योजना के लिये 7 करोड़ 15 लाख, मोहना (बान्दोर) बैराज 7 करोड़ 87 लाख, अमसियाखेड़ी–2 बैराज 4 करोड़ 4 लाख और बज्जाहेड़ा वियर के लिये 2 करोड़ 48 लाख की मंजूरी दी गई है। जिले में पिपलिया गुजर वियर के लिये 4 करोड़ 77 लाख, दुहानी बैराज 2 करोड़ 15 लाख, रामपुरा गूजर बैराज 3 करोड़ 96 लाख, लालाखेड़ी गूजर बैराज 8 करोड़ 25 लाख, अंखेली बैराज के लिये 10 करोड़ 77 लाख और घाटवाला महाराज बैराज के लिये 4 करोड़ 76 लाख स्वीकृत किये गये हैं। जिले में टान्डा वोरी बैराज के लिये 5 करोड़ 34 लाख, वाटावाड़ी तालाब 3 करोड़ 66 लाख रुपये, बिरगोद तालाब 6 करोड़ 64 लाख रुपये, भाटाहेड़ी तालाब 4 करोड़ 77 लाख और खोरियाइमा तालाब के लिये 4 करोड़ 79 लाख मंजूर किये गये हैं।

सागर जिले की ईश्वरपुरा बैराज के लिये एक करोड़ 55 लाख की राशि मंजूर की गई है। आगर जिले में गुदरावन बैराज के लिये 6 करोड़ 70 लाख और लटूरी गर्जर तालाब के लिये 7 करोड़ 64 लाख की राशि मंजूर की गई है।

उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री पटनायक ने की मध्यप्रदेश की सराहना

भोपाल। उड़ीसा में कुछ समय पहले आये सायक्लोन – फानी के कारण ध्वस्त विद्युत व्यवस्था बहाल करने के लिये मध्यप्रदेश से तत्काल कौशल सम्पन्न दल भेजने के लिये उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिये उड़ीसा की जनता की ओर से भी आभार व्यक्त किया है। श्री पटनायक ने अपने पत्र में मध्यप्रदेश के दल की सराहना करते हुए दल के कार्य को प्रशंसनीय बताया। उन्होंने मध्यप्रदेश दल के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे विद्युत प्रदाय व्यवस्था को तेजी से बहाल कर उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराने में मदद मिली।

वृद्ध एवं निरूशक्तजन उपभोक्ताओं के नॉमिनी ले सकेंगे राशन–मंत्री श्री तोमर

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निरूशक्त, वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं के नॉमिनी भी उनके स्थान पर रियायती दर पर राशन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नॉमिनी की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

मंत्री श्री तोमर ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 22 जिलों में ष्आधार–आधारित राशनिंगष व्यवस्था में यह सुविधा प्रदान की गई है। इसमें वृद्धावस्था या निःशक्तता के कारण पी.ओ.एस. मशीन पर उपभोक्ता के अंगूठे का प्रिंट नहीं आने या स्वयं राशन दुकान तक आने में असमर्थ उपभोक्ता अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी घोषित कर सकते हैं। घोषित नॉमिनी बायो मेट्रिक सिस्टम से तुरंत राशन प्राप्त कर सकेंगे।

उपभोक्ताओं की राशन कार्ड में आधार दर्ज न होने या मशीन द्वारा वेरिफिकेशन न करने पर तुरंत के.वाई.सी. जारी करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके लिये उपभोक्ता को अपना मूल आधार कार्ड और परिवारजनों की जानकारी लेकर राशन दुकान पर आना होगा।

प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-

न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं
डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)

(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल

ई–8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड–462 039
फान.–0 755 2725518, 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैंदान, इंदौर
फोन : 0731-2410908, 9926451862

राष्ट्रीय उद्यानों के प्रभावी प्रबंधन में शीर्ष पर मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने पार्क संचालकों, मैदानी स्टाफ को दी बधाई

भोपाल। मध्यप्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने राष्ट्रीय उद्यानों के संचालकों और फील्ड स्टाफ को बधाई दी है।

भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन 2018 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाला टाइगर रिजर्व माना गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में अनुपम प्रबंधन योजनाओं और नवाचारों को अपनाया गया है।

उल्लेखनीय है कि वन्य–जीव संरक्षण मामलों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रभावी प्रबंधन के आकलन से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ये आंकड़ें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र में रखे जाते हैं।

टाइगर रिजर्व की प्रबंधन शक्तियों का आकलन कई मापदण्डों पर होता है जैसे योजना, निगरानी, सतर्कता, निगरानी स्टाफिंग पैटर्न, उनका प्रशिक्षण, मानव–वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, संरक्षण, सुरक्षा और अवैध शिकार निरोधी उपाय आदि।

देश में पेंच टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को उत्कृष्ट माना गया है। फ्रंटलाइन स्टाफ को उत्कृष्ट और ऊर्जावान पाया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दर्ज सभी मामलों में पैरवी कर आरोपियों को दंडित करने में प्रभावी काम किया गया। मानव–बाघ और बाघ–पशु संघर्ष के मामलों में पशु मालिकों को तत्काल वित्तीय राहत दी जा रही है। साथ ही उन्हें विश्व प्रकृति निधि भारत से भी सहयोग दिलवाया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित चरवाहा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। चरवाहों के स्कूल जाने वाले बच्चों को शैक्षिक सामग्री वितरित की जा रही है। इसके अलावा, ग्राम स्तरीय समितियों, पर्यटकों के मार्गदर्शकों, वाहन मालिकों, रिसॉर्ट मालिकों और संबंधित विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रबंधकों के प्रतिनिधियों की बैठकें भी नियमित रूप से होती हैं। पर्यटन से प्राप्त आय का एक तिहाई हिस्सा ग्राम समितियों को दिया जाता है। परिणामस्वरूप इन समितियों का बफर ज़ोन के निर्माण में पूरा सहयोग मिलता है। पर्यटन से प्राप्त आय पार्क विकास फंड में दी जाती है और इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया जाता है।

बांधवगढ़ में पर्यटन इको विकास समितियाँ

इसी तरह, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने बाघ पर्यटन से प्राप्त राशि का उपयोग करके ईको विकास समितियों को प्रभावी ढंग से पुनर्जीवित किया है। वाटरहोल बनाने और घास के मैदानों के रख–रखाव के लिए प्रभावी वन्य–जीव निवास स्थानों को रहने लायक बनाने का कार्यक्रम भी चलाया गया है। मानव–वन्यजीव संघर्षों को ध्यान में रखते हुए, मवेशियों और मानव मृत्यु और जख्मी होने के मामले में राहत एवं सहायता राशि के तत्काल भुगतान की व्यवस्था की गई है।

कान्हा में अनूठी प्रबंधन रणनीतियाँ

कान्हा टाइगर रिजर्व ने अनूठी प्रबंधन रणनीतियों को अपनाया है। कान्हा पेंच वन्य–जीव विचरण कारिडोर भारत का पहला ऐसा कारिडोर है। इस कारिडोर का प्रबंधन स्थानीय समुदायों, सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों, नागरिक संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। पार्क प्रबंधन ने वन विभाग कार्यालय के परिसर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किया है, जो वन विभाग के कर्मचारियों और आस–पास के क्षेत्र के ग्रामीणों के लिये लाभदायी सिद्ध हुआ है।

पन्ना रिजर्व द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित

पन्ना टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी बढ़ाने में पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। शून्य से शुरू होकर अब इसमें वयस्क और शावक मिलाकर 52बाघ हैं। यह भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है। सतपुड़ा बाघ रिजर्व में सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी और बोरी अभयारण्य से 42 गाँवों को सफलतापूर्वक दूसरे स्थान बसाया गया है। यहाँ सोलर पंप और सोलर लैंप का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र में नवाचारों को अपना रहे हैं किसान

भोपाल। मध्यप्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्व–सहायता समूहों के सदस्यों ने संवहनीय आजीविका और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना से जुड़कर नवाचारों को अपनाया है। इससे न केवल उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है, अर्थात कृषि जिंसों की लागत में भी कमी आई है। परियोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में प्रदेश के 100 समुदाय स्रोत व्यक्तियों (सीआरपी) को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एवं पंचायती राज कैम्पस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रदेश के मण्डला और श्योपुर जिले में इस परियोजना से किसानों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने में आयी है। परियोजना से जुड़े किसानों की अन्य किसानों से तुलना पर यह तथ्य साफतौर पर रेखांकित हुआ है। परियोजना से जुड़े किसानों का उत्पादन 2014 की तुलना में 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बढ़ा है तथा कृषि जिंसों में लागत लगभग 2 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर कम हुई है। इस परियोजना से महिला किसानों के परिवार में निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई है और खेती में कृषि यंत्र भण्डार के उपयोग से मजदूरी और बोझ में कमी आयी है।

बेरोजगारों को सफल व्यवसायी बना रही मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना

भोपाल। प्रदेश में बेरोजगारों को सफल व्यवसायी बनाने में मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना मददगार साबित हुई है। जिला दतिया के रईस खान, छिन्दवाड़ा की श्रीमती नूरी शेख, रीवा के यज्ञ नारायण समदरिया और शिवपुरी के विक्रम जैमिनी योजना की मदद से सम्मानजनक व्यवसाय स्थापित करने में सफल हुए हैं। दतिया जिले के रईस खान कल तक मजदूरी किया करते थे। मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना की मदद से आज ये डीजल पम्प वर्कशाप के मालिक हैं। योजना में इन्हें 2 लाख अनुदान के साथ 7 लाख रुपये का बैंक लोन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने दिलवाया। अब रईस खान वर्कशाप से 30 हजार रुपये महीने से भी अधिक कमा रहे हैं। छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय में आजाद चौक पर श्रीमती नूरी शेख ने इस योजना की मदद से रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया है। इन्हें भी अल्पसख्यक कल्याण विभाग ने यूनियन बैंक से 5 लाख रुपये लोन दिलवाया था।

पृष्ठ 1 का शेष

आदिवासियों द्वारा साहूकारों से .....

प्रमुख बिन्दु

- अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिए गए सभी कर्ज माफ होंगे।
- जेवर, जमीन यदि गिरवी रखी है, तो वापिस की जाएगी।
- भविष्य में कोई साहूकार अनुसूचित क्षेत्र में साहूकारी का धंधा करना चाहता है तो लायसेंस और नियमों का पालन करेंगे।
- बगैर लायसेंस के साहूकारी का धंधा या नियमों का उल्लंघन किया तो ऐसा कर्ज नहीं चुकाया जाएगा।
- आदिवासियों को डेबिट कार्ड दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ए.टी.एम. से निकाल सकेंगे 10 हजार रूपए।
- हर हाट बाजार में खोले जायेंगे ए.टी.एम।
- खारिज वनाधिकार पत्रों का फिर से परीक्षण होगा और वनाधिकार पत्र जारी होंगे।
- ''मुख्यमंत्री मदद योजना'' में आदिवासी परिवार में जन्म होने पर आधा क्विंटल और मृत्यु होने पर 1 क्विंटल खाद्यान्न मिलेगा। भोजन बनाने के लिए बड़े बर्तन भी उपलब्ध होंगे।
- सभी वन ग्राम राजस्व ग्राम बनेंगे।
- 40 नये एकलव्य विद्यालय खुलेंगे ।
- 40 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन होगा।
- आदिवासी क्षेत्रों में 7 नये खेल परिसर बनेंगे।

आष्ठान योजना

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि आदिवासी समाज के देव–स्थलों को सुरक्षित रखने और उन्हें संरक्षण देने के लिए सरकार ने आष्ठान योजना शुरू की है। इससे हम आदिवासी समुदाय के कुल देवता और ग्राम देवी–देवताओं के स्थानों में स्थापित देवगुढ़ी/मढ़िया/देवठान का निर्माण करेंगे, उनका जीर्णोद्धार किया जायेगा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और उनके गौरवशाली इतिहास को

संरक्षित करने के लिए राजा शंकरशाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की स्मृति में जबलपुर में 500 करोड़ रुपये की लागत से संग्रहालय बनाया जायेगा।

आदिवासी संस्कृति की सभ्यता और इतिहास को बचाने का संकल्प लें नौजवान

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे आदिवासी समाज की गौरवशाली संस्कृति सभ्यता और इतिहास को सुरक्षित रखा जाये। उन्होंने आदिवासी समाज के युवकों का आव्हान किया कि वे आज के दिन यह संकल्प लें कि वे अपनी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को जीवित रखेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में जो भटकाव पैदा हो रहा है, आज उसे रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे जंगल सुरक्षित हैं। अभी तक हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण रहित था, उसका श्रेय आदिवासी समाज को जाता है जिन्होंने जंगलों को सुरक्षित रखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में नई सरकार बनने के बाद हमने जो प्राथमिकताएँ तय की और जिस नई सोच के साथ काम शुरू किया उसमें सबसे पहले हमने आदिवासियों, पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों की चिंता की और उनके हित में कई फैसले किए। श्री नाथ ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी विकास के सर्वांगीण विकास और उनके हित में काम करने के लिये हम संकल्पित है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ

जंगल, बाघ और जैव विविधता से मध्यप्रदेश की विश्व में पहचान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि जंगल, बाघ और जैव विविधता के कारण मध्यप्रदेश की देश में ही नहीं, पूरे विश्व में पहचान है। श्री नाथ मिंटो हाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में बाघ और जंगल सुरक्षित हैं, तो इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है। श्री नाथ ने कहा कि 1980 में विरोध के बावजूद उन्होंने लोकसभा में फॉरेस्ट एक्ट पास करवाया। तब इसे विकास विरोधी कहा गया था। उन्होंने कहा कि इसी एक्ट ने हमारे देश की जैव विविधिता को न केवल संरक्षित किया, बल्कि संवर्धित भी किया।

श्री कमल नाथ ने कहा कि भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया का सबसे धनी देश है। उन्होंने कहा कि देश में जैव विविधता के साथ ही अन्य कई ऐसे फैसले लिये गये, जिनमें बाघों का संरक्षण भी शामिल है। इसके कारण ही हमारा देश बाघों की संख्या के मामले में पूरी दुनिया में अव्वल है। उन्होंने कहा कि बाघ हमारे इको सिस्टम का हार्ट हैं। यह एकमात्र प्राणी है, जिसके कारण हमारे देश में पर्यावरणीय संतुलन बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केन्द्रीय वन मंत्री के रूप में मध्यप्रदेश के वनों और बाघों के संरक्षण के लिए विशेष मदद उपलब्ध कराई। इसी का परिणाम है कि पेंच, संजय गांधी, और बांधवगढ़, नेशनल पार्क के रूप में विकसित हुए। उन्होंने कहा कि आज हमारा प्रदेश देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बाघों की संख्या के मामले में अव्वल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समाज की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर अपने प्रदेश की इस संपदा की रक्षा के लिए आगे आना होगा। मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों को बधाई दी ,जो वनों और वन्य–प्राणियों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जो गौरव हासिल हुआ, इसमें हमारे वनकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 32 हजार बच्चों द्वारा तैयार की गई बाघ की कलाकृति बनाने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि वन्य–प्राणियों की रक्षा के लिए बच्चों को जागरूक बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बच्चों द्वारा बनाई गई बाघ की कलाकृति, 'बाघों की कहानी– मुन्ना की जुबानी' पुस्तिका और संजय टाइगर रिजर्व के प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने किंगडम ऑफ टाइगर्स फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें कलाकारों द्वारा बाघों पर बनाई गई विभिन्न मुद्राओं के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने आभार प्रदर्शन किया। मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के. सिंह, मुख्य वन संरक्षक एवं बड़ी संख्या में वन और वन्य–प्राणी प्रेमी उपस्थित थे।

नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना

20 स्थानों पर स्थापित किये जाएंगे कम्पोस्ट प्लांट

नरसिंहपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों को 26 क्लस्टर में विभाजित कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्लस्टर आधारित योजना बनायी गयी है। इसमे से 6 स्थानों पर कचरे से ऊर्जा (वेस्ट टू एनर्जी) तथा 20 स्थानों पर कम्पोस्ट प्लांट लगाने की योजना तैयार की गयी है। सागर, जबलपुर और उज्जैन में प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किये गये हैं। भोपाल, कटनी और रीवा में प्लांट शुरू करने तेजी से काम किया जा रहा है।

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के बेहतर क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों को शामिल कर वर्कशॉप और इन्टरेक्शन मीट आयोजित की जा रही है। स्थानीय निकायों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिये समझाईश भी दी जा रही है।

1. प्रदेश में 1271 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का कम्पोस्ट बनाने में उपयोग

2. करीब 462 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का कचरे से ऊर्जा उत्पादन में उपयोग.

3. प्रदेश में ठोस अपशिष्ट का 26 क्लस्टर में प्रबंधन.

प्रदेश के 383 नगरीय निकाय संस्थान में 7212 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है। इसमें से 6537 मैट्रिक टन अपशिष्ट का संग्रहण हो रहा है। करीब 1271 मैट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन कम्पोस्ट बनाने में, 15 मैट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन में 525 मैट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग आरडीएफध्एमआरएफ में तथा करीब 462 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का उपयोग कचरे से ऊर्जा उत्पादन में किया जा रहा है।

जबलपुर में 11.5 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। इंदौर में ए टू जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देवगुराडिया में संचालित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र से प्रतिदिन 1100 से 1200 मैट्रिक टन अपशिष्ट प्राप्त हो रहा है। इसमें से 600 मैट्रिक टन कम्पोस्ट बनाने में और 500 मैट्रिक टन मटेरियल रिकवरी के लिये उपयोग हो रहा है। शेष 100 मैट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग विकेन्द्रीयकृत सुविधा के माध्यम से कम्पोस्ट एवं बायोगैस बनाने में उपयोग किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प साइट्स की जल एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जाँच की जा रही है। पिछले वर्ष डम्प साइट्स के आस–पास के क्षेत्रों की भूमिगत जल गुणवत्ता माप के लिये 452 और परिवेशीय वायु गुणवत्ता माप के लिये 219 नमूनों की जॉच की गयी।

सीमेंट उद्योग में प्लास्टिक कचरे के सह–दहन से एक लाख मीट्रिक टन कोयले की बचत

भोपाल। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिये सीमेंट उद्योग में प्लास्टिक कचरे के निष्पादन के लिये वैज्ञानिक पद्धतियों को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक प्रदेश की सीमेंट इकाईयों में लगभग 54 हजार 220 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सह–दहन किया जा चुका है। इस प्रक्रिया से लगभग एक लाख 8 हजार 500 मीट्रिक टन कोयले की बचत सुनिश्चित हुई है।

प्रदेश में लगभग 300 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा प्रतिदिन उत्पन्न होता है। इसमें से लगभग 225 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा रि–सायकल में चला जाता है। प्रतिदिन 75 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में विद्यमान रहता है। प्लास्टिक अपशिष्ट एक ज्वलनशील पदार्थ है, जिसमें कोयले की अपेक्षा अधिक केलोरीफिक वैल्यू होती है। इसे 850 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जलाने से किसी भी तरह की हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक कचरे के निष्पादन की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है।

प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर लागू किये गये प्रतिबंध को प्रभावशील ढंग से क्रियान्वित किये जाने के लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। वर्ष 2018 में पॉलिथीन के उपयोग की रोकथाम के लिये जन–जागृति अभियान चलाए गये। इस दौरान लगभग 37 मीट्रिक टन प्लास्टिक कैरी बैग जप्त किये गये नगरीय निकायों द्वारा दोषियों से करीब 34 लाख रूपये अर्थदण्ड वसूला गया।

हर जिले में होगी औषधीय पौधों की खेती : वन मंत्री

भोपाल। वन मंत्री श्री उमंग सिंघार ने मिन्टो हॉल में मुख्य वन संरक्षकों की समीक्षा बैठक में लघु वनोपज संघ को प्रदेश के प्रत्येक जिले में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि औषधीय उपज से होने वाली आमदनी का लाभ ग्रामीणों को ही मिले। श्री सिंघार ने कहा कि उपज विक्रय में संघ ग्रामीणों का व्यापारियों से अनुबंध कराने में सहायता करे। वन मंत्री ने वनों के विकास में महत्वपूर्ण घटक संयुक्त वन समितियों को और अधिक सुदृढ़ और सक्रिय करने के निर्देश दिये। उन्होंने वन संरक्षकों से वन की अवैध कटाई, रेत खनन, शिकार आदि को रोकने के लिये सेटेलाइट तकनीक का उपयोग करने को कहा है। बैठक में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय और अनुसंधान विस्तार मुख्य वन संरक्षक और राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र संचालक मौजूद थे। वन मंत्री ने सभी वन वृत्त, इकाई और राष्ट्रीय उद्यान की गतिविधियों की समीक्षा की।

राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से अधिकारी–कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि–मंडल ने मुलाकात की

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वचन–पत्र में जो वादे कर्मचारियों के लिए किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। श्री नाथ मंत्रालय में 24 कर्मचारी संगठनों और अपाक्स कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि–मंडल से चर्चा कर रहे थे। इस मौके पर कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने 8 माह के कार्यकाल में ही कर्मचारी हितैषी निर्णय बगैर किसी आंदोलन के ही लिए, जिसका लाभ सभी को मिला। इस मौके पर गृह मंत्री श्री बाला बच्चन भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी शासकीय कर्मी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, वह सरकार के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की माँगों और अपेक्षाओं के प्रति सरकार संवेदनशील है और उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कर्मचारी–अधिकारी संगठनों से कहा कि वे अपनी माँग का हर बिन्दु अलग–अलग बनाकर दें ताकि उस पर त्वरित कार्यवाही हो सके।

जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कर्मचारी–अधिकारी संगठनों की ओर से उनकी अपेक्षाओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेशनरों के डीए में वृद्धि की और कर्मचारियों के हित में एक नई संस्कृति शासन– प्रशासन में विकसित की है। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता के साथ कर्मचारियों के हितों के लिए निर्णय लिए हैं वह इस बात को रेखांकित करता है कि वे कर्मचारियों और अधिकारियों की हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं।

कर्मचारी–अधिकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आठ माह में बिना किसी आंदोलन के कई माँगों को माना है, जिनमें अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का निर्णय शामिल है। संविदाकर्मियों के प्रति सरकार का सहानुभूतिपूर्ण रवैया सराहनीय है।

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने रानी दुल्लैया आयुर्वेद महाविद्यालय के चरक जयंती समारोह को सम्बोधित किया।

ई-नगर पालिका पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश

भोपाल। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री संजय दुबे ने वीडियो काफ्रेंसिंग द्वारा नगरीय निकायों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये हैं कि ई–नगर पालिका पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा दें। नागरिकों को सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्वीटर, पम्पलेट एवं विज्ञापन के माध्यम से नगरीय निकाय के सभी करों का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रेरित करें।

प्रमुख सचिव ने कहा कि जन शिकायतों का निराकरण समय–सीमा में करें। सभी निकाय निर्धारित माँग अनुसार वसूली सुनिश्चित करें। नगरीय निकाय में ई–नगर पालिका पोर्टल पर माँग एवं वसूली की शत–प्रतिशत प्रविष्टि करें। जिन नगरीय निकायों द्वारा सम्पत्ति सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है, उनका जी.आई.एस. डाटा ई–नगर पालिका के पोर्टल पर अपलोड करें। श्री दुबे ने स्वच्छ सर्वेक्षण–2020 के मद्देनजर व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण समय–सीमा में करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि मैदानी मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर से टीम भेजी जायेगी। प्रत्येक नगरीय निकाय घर–घर कचरा एकत्रित करने, सूखा और गीला कचरा अलग–अलग करने और डस्टबिन फ्री शहर बनाने के लिये प्रभावी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि जो निकाय स्वच्छ सर्वेक्षण–2019 में जिस पायदान पर है, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण समय–सीमा में पूरा करवायें।

प्रमुख सचिव श्री दुबे ने कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन की सभी लंबित शिकायतों का अंतिम निराकरण लेवल–3 तक अनिवार्यतरू किया जाये। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निराकरण इस तरह करें कि आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट हो। प्रमुख सचिव ने जल शक्ति परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित गाइड लाइन के आधार पर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रुफ वाटर हार्वेस्टिंग और पौध–रोपण का कार्य वृहद स्तर पर करवायें। इस दौरान आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री पी. नरहरि भी उपस्थित थे। अपर आयुक्त श्री स्वतंत्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

स्मार्ट गौ-शालाएं बनाने पशुपालन विभाग और एसआईबीसीएस कम्पनी के बीच एमओयू

भोपाल। पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव और जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा की मौजूदगी में मंत्रालय में पशुपालन विभाग और एसआईबीसीएस ग्रीन पावर प्रायवेट लिमिटेड के बीच स्मार्ट गौ–शालाएँ बनाने के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री मनोज श्रीवास्तव और एसआईबीसीएस कम्पनी के डायरेक्टर श्री कासि ललित तथा पशुपालन विभाग, गौ–संवर्धन बोर्ड और एसआईबीसीएस कम्पनी के अधिकारी मौजूद थे।

एमओयू के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा कॉर्पोरेट के सहयोग से स्मार्ट गौ–शालाओं की स्थापना की कार्य–योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। पहले चरण में एसआईबीसीएस कम्पनी कम से कम 2 से 3 हजार गौ–वंश की क्षमता वाली 60 गौ–शालाओं की स्थापना करेगी। स्मार्ट गौ–शाला प्रोजेक्ट में गोबर और गौ–मूत्र से जैविक सीएनजी, सौर ऊर्जा, जैविक कीट–नाशक सहित औषधियों एवं अन्य उत्पादों के माध्यम से गौ–शालाओं का व्यावसायिक मॉडल भी बनाया जायेगा। राज्य की गौ–शालाओं को जमीन देने की नीति के तहत स्मार्ट गौ–शालाओं को जमीन उपलब्ध करवाई जायेगी। गौ–शालाओं में निराश्रित गौ–वंश को रखा जायेगा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।